मूल वाद संख्या 2021/143

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर.

रामभरोसे बनाम करनैल सिंह व अन्य

विविध प्रार्थना संख्या 2021/081

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
08.10.2021	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ–पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 02 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, पटवार हल्का ओडकी, भू०अ०नि० क्षेत्र हिन्दुमलकोट के खाता संख्या 81/44 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 4,7,8,13,14,17,18,सालम व किला न0 24 में 18 बीस्वा, किला न0 16 मे 05 बीस्वा एवं किला न0 25 मे 18 बीस्वा कुल 9.01 है0 नहरी/बारानी कृषि भूमि में आगामी तारीख पेशी तक अपने हक व हिस्से से अधिक आराजी रहन बैय न करे। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 3 तीन दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को पेश हो।	
18.11.21	प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री अमेन्द्र बिश्नोई द्वारा वकालतनामा मूलवाद में प्रस्तुत शामिल पत्रावली हो। आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021, कैम्प ग्राम पंचायत ...ओडकी...... में पेश हुई। पक्षकारान को आवाजें लगाई गयी। हाजिर नहीं है। पत्रावाली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ...06.1.22.... को पेश हो।	
6.1.22	प्रतिवादी नं० 6,9 की ओर से [illegible] प्रस्तुत शामिल पत्रा० हो। आज पीठासीन अधिकारी राजस्व अभियान कैम्प पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-1-22 को पेश हो	6/1/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested

15/01/25

अधिवक्तागण उप०। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता मिसल पेशी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। कॉपी प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र [illegible] को खारिज करवाना चाहता है। अत: प्रार्थी उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इजराय प्रकरण सं० 2021/03 [illegible] [illegible] v/s [illegible] व अन्य [illegible] [illegible] [illegible] वर्तमान स्टेज पर खारिज किया जाता है। [illegible] के अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली [illegible] के [illegible] मूल [illegible] पत्रावली के साथ नत्थी रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested